[illegible] – [illegible] आदि अ.नं. 48/19

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22.7.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी उपस्थित बहस हेतु दिनांक 31.7.24 को पेश हो।	RP भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
31.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.8.24 को पेश हो। RP भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
16.8.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। RP भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 48/2019

1 हरदेवा राम आयु 65 साल पुत्र श्री दूल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम सेवद बड़ी तहसील धोद जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 दूल्लाराम पुत्र श्री मोहन मृत
2 चन्द्राराम पुत्र श्री घड़सीराम
3 मोतीलाल पुत्र श्री भूराराम
4 भोपाल पुत्र श्री हरजीराम
5 कानाराम पुत्र श्री हरजीराम
6 सूरजा पुत्र श्री हरजीराम
7 रामदेव सिंह पुत्र श्री भींवाराम
8 गिरधारी पुत्र श्री भींवाराम
9 सांवरमल पुत्र श्री दूल्लाराम
10 रामपाल पुत्र श्री दूल्लाराम
11 गोपाल पुत्र श्री दूल्लाराम
12 भागीरथ पुत्र श्री दूल्लाराम
13 पेमाराम पुत्र श्री दूल्लाराम
14 सोहन पुत्र श्री दूल्लाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सेदव बड़ी तहसील धोद जिला सीकर राज.।
15 तहसीलदार महोदय तहसील धोद जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक
कलेक्टर महोदय द्वितीय सीकर मुकदमा नम्बर 89/2018
बउनवानी हरदेवा बनाम दुल्लाराम वगैरह तारी 01.07.2019
जिसके द्वारा अपीलान्ट/वादी का दावा अन्तर्गत आदेश
07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया।

उपस्थिति :

1. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द थालोड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महेन्द्र सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 89/2018 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम सेवद बड़ी तहसील धोद की भूमि खसरा नम्बर 87, 88, 109, 110 के संदर्भ में घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अपील अधिकारी
सीकर

उभयपक्ष को सुनकर वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा जो आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया है। उसमें यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि अपीलान्ट का दावा कौनसी विधि द्वारा वर्जित है। पूर्व में किसी सम्पदा को लेकर दावा यदि विचाराधीन हो तो भी नया दावा प्रस्तुत करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इसके अलावा जो दावा विचाराधीन होना बताया गया है। उसमें अपीलान्ट पक्षकार नहीं है। यदि जिस सम्पदा का 70–80 साल पहले मौके पर भौतिक रूप व से विभाजन हो गया हो और मौके पर नींव–सींव कायम कर सभी काश्तकार अपने मकान बनाकर आबाद हो ऐसी सूरत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने राजस्व अधिकारों के हनन पर दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय व डिकी खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट/वादी द्वारा अपने दावे में अपने पिता दूल्ला राम को विरासत एवं बंटवारे में प्राप्त कृषि भूमियों में अपना हिस्सा प्राप्त करने रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने का दावा प्रस्तुत किया है। जिसमें यह तय होना है कि वादी पैतिक सम्पदा में अपना हक, हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं। परन्तु विचारण न्यायालय ने यह समझने में भारी भूल की है कि सुरजा राम बनाम छोटी देवी दावा व जैर अपील दावा में एक ही राजस्व अधिकारों का प्रश्न निहित है। इसलिए विचारण न्यायालय ने कयास के आधार पर जैर अपील निर्णय डिकी पारित कर सख्त भूल की है। वादी अपीलांट के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना विधि सम्मत है। अपील स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादी द्वारा वाद ग्राम सेवदबड़ी के खसरा नम्बर 87, 88, 109 व 110 किता 4 रकबा 0.8700 हैक्टेयर के बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी ने अंकित किया है कि विवादित उपरोक्त कृषि भूमियां पैतृक है जो कि बंटवारे के अन्दर खसरा नम्बर 87 व 110 वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 दूल्लाराम को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 की उम्र 88 वर्ष हो चुकी है अब दोनों खसरा नम्बर पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 काबिज काश्तकार है राजस्व रिकार्ड एवं वाद पत्र के तथ्यों से स्पष्ट है कि वादपत्र में अंकित भूमियां विभाजित है। आवेदनकर्ता का मुख्य तर्क है कि इन्ही भूमियों बाबत एक दावा उसके द्वारा किया गया था जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा खारिज कर दी गई एंव उसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। आवेदनकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में वाद की प्रति प्रस्तुत की है। इसके अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि उक्त वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 92 से 95 107, 108, 87, 88, 109 एवं 110 बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 के पिता दुल्लाराम प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार है। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.04.2017 को विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट संख्या 6 के रूप में दुलाराम अंकित है। जिसमे न्यायालय द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया गया है। जिसकी निगरानी उन्ही पक्षकार के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। यह सभी तथ्य दस्तावेजात से प्रमाणित है। वादी/जवाबदाता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर 87, 88, 109 व 110 में से खसरा नम्बर 87 व 110 बंटवारे से उनके हिस्से में आये है। जिन पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 14 अलग–अलग काबिज है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि अभी भी संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें सभी खातेदारों के नाम दर्ज है। वादी का यह कथन प्रमाणित नहीं हुआ है। जवाबदावा ने अपने पिता दुलाराम को 88 वर्ष का वृद्ध बताया है परन्तु पूर्व में जो वाद/अपील/निगरानी प्रस्तुत किये गये है उनमें पैरवी हेतु प्रतिवादी संख्या 1 पक्षकार है जो वादी का पिता है। जवाबदाता/वादी के कथन के अनुसार दुलाराम के पुत्रगण सभी अलग–अलग रह रहे है तथा खसरा नम्बर 87 व 110 उनके हिस्से में आये है तो प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत वाद में उनके पिता दुलाराम को अपना पक्ष रखना चाहिये था। वरवक्त बहस यह भी तर्क किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 को देहान्त हो चुका है। इस बाबत पत्रावली पर भी वादी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है। जब वादी के पिता का देहान्त हो चुका है तो वह अब वारिसान के तौर पर विवादित भूमियों में स्वतः खातेदार काश्तकार दर्ज हो जायेंगे। जो वादी का उद्घोषणा का वाद का वर्तमान परिपेक्ष्य में कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद ग्राम सेवदबड़ी के खसरा नम्बर 87, 88, 109 व 110 किता 4 रकबा 0.8700 हैक्टेयर के बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी ने अंकित किया है कि विवादित उपरोक्त कृषि भूमियां पैतृक है जो कि बंटवारे के अन्दर खसरा नम्बर 87 व 110 वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 दूल्लाराम को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 की उम्र 88 वर्ष हो चुकी है अब दोनों खसरा नम्बर पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 काबिज काश्तकार है राजस्व रिकार्ड एवं वाद पत्र के तथ्यों से स्पष्ट है कि वादपत्र में अंकित भूमियां विभाजित है। रेस्पोडेन्ट का मुख्य तर्क है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इन्ही भूमियों बाबत एक दावा उसके द्वारा किया गया था जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी अपील इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई एंव उसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में वाद की प्रति प्रस्तुत की है। इसके अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि उक्त वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 92 से 95 107, 108, 87, 88, 109 एवं 110 बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 के पिता दुल्लाराम प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2017 को विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट संख्या 6 के रूप में दुलाराम अंकित है। जिसमे न्यायालय द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया गया है। जिसकी निगरानी उन्ही पक्षकार के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। यह सभी तथ्य दस्तावेजात से प्रमाणित है। वादी/जवाबदाता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर 87, 88, 109 व 110 में से खसरा नम्बर 87 व 110 बंटवारे से उनके हिस्से में आये है। जिन पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 14 अलग–अलग काबिज है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि अभी भी संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें सभी खातेदारों के नाम दर्ज है। अब वादी के पिता का देहान्त हो चुका है तो वह अब वारिसान के तौर पर विवादित भूमियों में स्वतः खातेदार काश्तकार दर्ज हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 16.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर